न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—275/2014/225 (2014/00004)

1. पेमा पुत्र रीयां,
2. हेमा पुत्र रीयां,
3. श्रीमती छोटी पत्नि रीयां,
4. सेठू दत्तक पुत्र लक्ष्मण नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक पिता पेमा पुत्र रीयां,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बाणोता का बाड़िया (जामोला), तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. भींया पुत्र रूपा, जाति रावत, निवासी बाणोता का बाडिया (जामोली) तह0 मसूदा, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा ।

रेस्पोडेंटस

3. श्रवण पुत्र हजारी,
4. लादू पुत्र हजारी,
5. सुजा पुत्र हजारी,
6. रामा पुत्र बख्ता,

समस्त जाति रावत, निवासी ग्राम बाणोता का बाड़िया (जामोला), तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 3.7.2014 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 46/20912.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांटस ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 6 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 2 .

निर्णय

दिनांकः— 23.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के आदेश दिनांक 3.7.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद वादपत्र में वर्णित आराजियात बाबत् वास्ते उद्घोषणा खातेदारी, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो0 के पेश किया तथा उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि वादवर्णित आराजियात के खातेदार रूपा पुत्र गोमा रावत थे, जिनके वारिसान रीयां, भींया व लक्ष्मण पुत्रान रूपा हुए । जिनमे से लक्ष्मण की पत्नि का लगभग 20 वर्ष पहले लक्ष्मण के जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो गया तथा लक्ष्मण द्वारा अपने सगे भाई पेमा के पुत्र सेठू को जाति बिरादरी एवं समाज के

रीति रिवाजों के अनुसार गोद ग्रहण किया एवं लक्ष्मण का स्वर्गवास होने के बाद पगड़ी दस्तूर भी सेठू के ही हुआ और समाज में सेठू दत्तक पुत्र लक्ष्मण हो गया । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा पेमा व हेमा पुत्रान रीयां व श्रीमती छोटी पत्नि रींया का तथा 1/3 हिस्सा सेठू दत्तक पुत्र लक्ष्मण का एवं 1/3 हिस्सा भींया पुत्र रूपा का निहित हुआ। वादग्रस्त भूमियों में से खाता संख्या 362 व 365 संयुकत परिवार में रहने के कारण भींया व लक्ष्मण के नाम आवंटन करवा दी लेकिन संयुक्त परिवार के सदस्यों को आवंटन होने के कारण रूपा के तीनों पुत्रों का बराबर हिस्सा निहित है । इस प्रकार वादीगण/अपीलांट का विवादित भूमि में 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है लेकिन प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 वादग्रस्त अविभाजित आराजियात को अन्यंत्र रहन, बेचान, मुन्तकिल करने पर आबादा है । इसी कारण खाता संख्या 366 रकबा 13–4–10 बीघा में निहित हिस्से का दिनांक 17.7.2012 को उसके द्वारा मदन पुत्र नामालूम को विक्रय कर दिया गया एवं विक्रय पत्र में मदन पुत्र लक्ष्मण, जाति रावत, नि0 जामोला बाडिया राजोरिया अंकित करवा दिया जबकि लक्ष्मण पुत्र रूपा के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी एवं उसके जीवनकाल में ही उसकी पत्नि का स्वर्गवास हो गया था तथा न ही उसके कोई पुत्र व पुत्री हुए । लेकिन भीयां पुत्र रूपा ने वर्तमान अपीलांटस को परेशान करने तथा भूमि को खुर्द बुर्द करने के इरादे से विक्रय पत्र दिनांक 17.7.2012 निष्पादित करवा दिया एवं शेष आराजियात को भी अन्यंत्र रहन, बेचान करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थीगण के 2/3 हिस्से की आराजियात पर कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत नहीं करने, बिना बंटवारा कराये रहन, बेचान, मुंतकिल नहीं करने से पाबंद करने का निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 3.7.2014 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । विद्वान अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए बहस करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । खाता संख्या 361 व 366 को स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 ने पुश्तैनी आराजियात होना माना है जिससे वादग्रस्त आराजियात ममें 1/3 हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 का, 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 1 लगायत 3 का व 1/3 हिस्सा अपीलांट संख्या 4 का निहित है । यदि अपीलांट संख्या 4 मूल वाद में अपने आप को लक्ष्मण का दत्तक पुत्र सिद्ध करने में असफल रहता है तो उक्त दोनों खातों की भूमि में रींया के वारिसान का 1/2 हिस्सा आता है ऐसी स्थिति में अपीलांट के उपरोक्त वर्णित हिस्सो के अनुसार ही भूमियां एवं अपीलांट के काश्तकारी अधिकारों की सुरक्षा हेतु रेस्पो0 के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित था । उक्त दोनों खातों की भूमि बाबत् आदेश जारी करने पर रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी कोई ऐतराज प्रकट नहीं किया गया था, फिर भी अधी0न्याया0 ने प्रकरण के तथ्यों को समझे बिना अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि लक्ष्मण पुत्र रूपा की पतिन का लक्ष्मण के जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो चुका था, उसके बाद न तो उसके द्वारा विवाह किया गया, न ही किसी स्त्री से नाता किया गया और विवादित स्त्री का स्वर्गवास हुआ उससे कोई

संतान भी उत्पन्न नहीं हुई थी । रेस्पो0 के जवाब अनुसार मदन जिसका लक्ष्मण का जायंदा पुत्र बताया है, कतई असत्य कथन अंकित किए गए है क्योंकि उक्त मदन के पिता का नाम जानकारी में किसी के नहीं है, इस मदन को रेस्पो0 संख्या 1 कहां से लेकर आया, आज तक किसी को पता नहीं है और रेस्पो0 संख्या इसका नाजायज लाभ अर्जित करते हए अपने घर के समस्त कार्यो का निष्पादन करने के लिऐ उक्त मदन को नोकर के रूप में इसकी नाबालिग अवस्था से प्रयोग कर रहा है, मात्र सम्पति में हिस्सा दिलाने के लिये लक्ष्मण का जायंदा पुत्र बताया जा रहा है, लेकिन इस बाबत् कोई रिकार्ड नहीं है । बहस में आगे कथन किया कि स्वयं रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अपने जवाबदावा में यह कथन किया है कि खाता संख्या 362 व 365 संयुक्त परिवार में निवास करने के दौरान रेस्पो0 संख्या 1 भींया व लक्ष्मण के नाम आवंटन हुई थी, इसी प्रकार खसरा संख्या 967 रकबा 5–18–00 बीघा भूमि भी भींया व लक्ष्मण पुत्र रूपा को दिनांक 29.5.1995 को नियमन की गई थी, जिसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 भीयां पुत्र रूपा ने प्रार्थना पत्र संख्या 3/2001 अंतर्गत नियम 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के समक्ष पेश किया था जिसमें लक्ष्मण पुत्र रूपा को अप्रार्थी संख्या 1 बनाया तथा रींया के वारिसान को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 बनाया । दौराने प्रकरण लक्ष्मण पुत्र रूपा का दिनांक 6.10.2001 को स्वर्गवास हो जाने पर विविध प्रार्थना पत्र संख्या 16/2002 पेश कर स्वंय रेस्पो0 संख्या 1 ने लक्ष्मण को नाऔलाद फौत होना बताते हुए उसका नाम तर्क करने का कथन किया था जिसकी पुष्टि विद्वान अपर कलक्टर, अजमेर के निर्णय दिनांक 7.10.2003 से होती है । रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा मदन को लक्ष्मण का जायंदा पुत्र होना अंकित किया है जो मिथ्या है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय में यह अंकित किया है कि मृतक लक्ष्मण के वारिस सेठू द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है अर्थात् एक तरफ तो अधी0न्याया0 सेठू को मृतक का वारिस मान रहे है वही दूसरी ओर ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जाना अंकित करते हुए प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । सेठू मृतक लक्ष्मण का दत्तक पुत्र सिद्ध होता है अथवा नहीं , यह मूल वाद की विषयवस्तु है जो बाद साक्ष्य निर्णित होगी, चूंकि प्रकरण पारिवारिक सम्पति से संबंधित है तथा रींया के वारिसान का भी विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है एवं यदि लक्ष्मण के कोई वारिस सिद्ध नहीं होते है तो रींया के वारिसान का हिस्सा 1/2 निहित होता है जिससे प्रथमदष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन रिकार्ड अनुसार अपीलांट के हक में सिद्ध था एवं पारिवारिक विवाद होने के कारण रहन, बेचान, मुन्तकिल करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंइद किया जाना न्यायोचित था । यदि रेस्पो0 को पाबंद नही किया गया तो अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होगी । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने, बेदखली का नाजायज प्रयास नहीं करने एवं रहन, बेचान व मुंतकिल नहीं करने बाबत् ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । लक्ष्मणसिंह को नाऔलाद फौत नहीं हुआ था बल्कि लक्ष्मणसिंह एक संतान मदन है जिसे अपीलांटस ने जानबूझकर मौजूदा वाद में पक्षकार नहीं बनाया है । अपीलांट संख्या 4 मृतक लक्ष्मण का दत्तक पुत्र नहीं है । लक्ष्मण के स्वर्गवास के बाद उसके पुत्र मदन का पालन पोषण रेस्पो0 संख्या 1 ने ही किया है । लक्ष्मण का पुत्र मदन उसके 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है । अपीलांटस ने

तथ्य छिपाकर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है । अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार लक्ष्मण की सम्पति को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद होकर मूल वाद अधी0न्याया0 में विचाराधीन है । अपीलांट संख्या 4 सेठू ने स्वंय को लक्ष्मण का दत्तक पुत्र बताकर वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है इसके विपरीत रेस्पो0 संख्या 1 का कथन है कि मदन मृतक लक्ष्मण का जायंदा पुत्र है । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित आराजियात के रहन, बेचान, हस्तातंरण नहीं करने एवं अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करने हेतु रेस्पो0 को अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने अपीलांटस/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.72014 को आदेश पारित कर मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि ''वादग्रस्त आराजी बाबत् वारिसान की स्थिति बाबत् कोई रिकार्ड नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा वांछित अनुतोष न्यायोचित प्रतीत नहीं है, मृतक लक्ष्मण के वारिस सेठू द्वारा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया जबकि मदन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रतिया उचित दर्शित है । उपरोक्त स्थिति में प्रकरण खारिज किया जाता है ।'' अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश मात्र 5–7 लाईन में अपीलांटस को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक बिन्दुओं यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं का विवेचन किये बिना पारित किया है । अपीलांट संख्या 4 मृतक लक्ष्मण का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं ? एवं मदन लक्ष्मण का जायंदा पुत्र है अथवा नहीं ? इन सब तथ्यों का निस्तारण मूल वाद में बाद साक्ष्य होगा किन्तु वर्तमान में प्रार्थना पत्र में अधी0न्याया0 को प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं को ध्यान में रखकर प्रकरण को निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र को सरसरी तौर पर निर्णित किया है । चूंकि दोनों पक्षों के मध्य लक्ष्मण पुत्र रूपा के हिस्से के बाबत् एक सद्भाविक विवाद मौजूद है तथा लक्ष्मण की विरासत एवं उत्तराधिकार का जटिल बिन्दू का भी उभयपक्षों के मध्य बाद साक्ष्य मूल वाद में निस्तारण होना शेष है । इसलिये लक्ष्मण का हिस्सा प्रकरण में विवादित होने से उसे मूल वाद पत्र के अंतिम निर्णय तक स्थगन से सरंक्षित किया जाना न्यायसंगत है ताकि दौराने वाद विवादित आराजियात का हस्तातंरण न हो सके एवं वाद बाहुल्यता तथा तकनीकी पेचीदगीयों में वृद्धि नहीं हो । इसके अतिरिक्त उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य है जिनके मध्य पारिवारिक आराजी को लेकर मूल वाद विचाराधीन है इस कारण से भी मूल खातेदार को विवादित आराजी के रहन, बैय, मुन्तकिल, अंतरण से पाबंद किया जाकर ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरंक्षित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । यह भी जाहिर है कि अपीलांट मृतक लक्ष्मण के प्राकृतिक पुत्र न होना बताते हुए सेठू को उसका दत्तक पुत्र कथित कर रहे है एवं रेस्पो0 मृतक लक्ष्मण के जायंदा पुत्र मदन को होना बता रहे है इसलिये हस्तगत प्रकरण में लक्ष्मण के उत्तराधिकार का जटिल बिन्दू मूल वादपत्र में तय होना शेष है एवं मृतक लक्ष्मण की आराजी किस प्रकार निहित होगी यह भी मूल वाद पत्र में बाद साक्ष्य तय होने से हस्तगत प्रकरण में विवादित आराजी जरिये स्थगन सरंक्षित किया जाना न्यायसंगत होने से मृतक लक्ष्मण के हिस्से बाबत् उभयपक्षों को ताफैसला मूल वाद अस्थायी

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.7.2014 निरस्त किया जाता है एवं उभयपक्षों को मृतक लक्ष्मण के हिस्से की आराजियात बाबत् ताफैसला मूल वाद इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है वे विवादित आराजियात की मौका तथा राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे तथा रेस्पो0 विवादित आराजियात को रहन, बैय, मुन्तकिल, हस्तातंरित आदि नहीं करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 23.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,अजमेर